

सतना की पहचान बना विन्ध्य व्यापार मेला : राजेन्द्र

उप मुख्यमंत्री ने किया व्यापार मेले के 12वें संस्करण का शुभारंभ

नवभारत न्यूज
सतना 19 दिसम्बर. प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा कि विन्ध्य का व्यापार मेला सतना की विशेष पहचान बन गया है। आपस में मिलकर सामंजस्य और भाईचारे की भावना से काम करने की ललक सतना की भव्यता को और भी बढ़ाती है।

उन्होंने कहा कि सतना और रीवा जिले दोनों ही कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ेंगे और हिन्दुस्तान के किसी भी विकसित क्षेत्र को पीछे छोड़ दें, ऐसे प्रयास किये जाने चाहिए। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल शुक्रवार को 11 दिवसीय विन्ध्य व्यापार मेले के आयोजन को 12वों संख्या का शुभारंभ कर रहे थे। विन्ध्य व्यापार मेले का भव्य शुभारंभ करते हुये उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि विन्ध्य क्षेत्र के



विकास के लिये रीवा और सतना सहित पूरे विन्ध्य क्षेत्र को प्रगति की रफ्तार दी जा रही है। उन्होंने कहा कि बरगी नहर का पानी सतना में लाने के प्रयास की सभी अडचने दूर कर ली गई है। अब अगली फसल के लिए सतना जिले के किसानों को सिंचाई का पानी मिल जाने की संभावना है।

विधायक ने उठाया स्वास्थ्य विभाग का मसला

अपने उद्बोधन के दौरान सतना विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा ने पिछले दिनों जिला चिकित्सालय में हुए घटनाक्रम का जिक्र करते हुए उप मुख्यमंत्री से इस संबंध में उचित कार्यवाई करने की मांग की। उन्होंने यह भी कहा कि यह अवसर इस प्रकार की बातों के लिए नहीं है पर जिस तरह से यहां पर विकास व अन्य योजनाओं की चर्चा की गई है इसमें यदि किसी प्रकार की कमी सामने आई है तो वह पक्ष भी सबके सामने रखा जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि किसानों के खेतों में सिंचाई का जल पहुंचने से क्षेत्र के किसान समृद्ध होते हैं। रोजगार के अवसर मिलने से व्यापार भी बढ़ता है। उन्होंने कहा कि सतना सहित पूरे विन्ध्य प्रदेश में सड़कों और सिंचाई के मामलों में तेजी से काम हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि विन्ध्य क्षेत्र को पर्यटन के साथ ही हवाई सेवाओं से जोड़ने रीवा और सतना में हवाई अड्डे तैयार कर हवाई मार्ग की सुविधा से जोड़ा गया है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में पूरे प्रदेश के साथ ही इस क्षेत्र में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। अधोसंरचना विकास के साथ ही डॉक्टरों की कमी को दूर करने लगातार मेडिकल कॉलेज खोले

जा रहे हैं। प्रदेश के जिलों में अगले दो वर्षों में 6 नये मेडिकल खोले जायेंगे। इस मौके पर सांसद गणेश सिंह ने कहा कि विन्ध्य व्यापार मेला की पहचान दूर-दूर तक फैली हुई है। सतना की पहचान शुरू से ही व्यापारिक शहर की रही है। विन्ध्य व्यापार मेला के 12वें पड़ाव में देश के

कार्यक्रम में इनकी रही उपस्थिति

इस अवसर पर सतना सांसद गणेश सिंह, विधायक सतना सिद्धार्थ कुशवाहा, महापौर योगेश ताम्रकार, अध्यक्ष विन्ध्य चेंबर ऑफ कॉमर्स सतीश सुखेजा, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ महाकौशल प्रान्त के कार्यवाह उत्तम बनर्जी, जिलाध्यक्ष भावती प्रसाद पाण्डेय, बालेन्द्र गीतम, हरिओम गुप्ता, उमेश सिंह लाला सहित समस्त व्यापारिक संस्थाओं के पदाधिकारी, प्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

नवभारत न्यूज

रीवा, 19 दिसम्बर, मऊगंज जिले के देवतालाब क्षेत्र में बुधवार को जीएसटी एंटी इवेजन ब्यूरो की टीम ने विश्वकर्मा फर्नीचर एण्ड बिल्डिंग मटेरियल प्रतिष्ठान में छापामार कार्यवाही की थी. लगातार तीसरे दिन भी कार्यवाही जारी रही और कार्यवाही पूरी होने पर संचालक ने 40 लाख रूपये सरेंडर किये है. टीम ने क्रय-विक्रय से जुड़े दस्तावेज जप्त किये है जिसका मिलान कर कर अपवंचन की राशि निकाली जाएगी. तीन दिन तक चली कार्यवाही में 40 लाख का कर अपवंचन मिला है.

संयुक्त आयुक्त राकेश साल्वी के निर्देश पर डिप्टी कमिश्नर उमेश त्रिपाठी के मार्गदर्शन में कार्यवाही तीन दिन तक चली. लोहा के बड़े कारोबारी शिवेन्द्र कुमार वर्मा के फर्म विश्वकर्मा फर्नीचर एण्ड बिल्डिंग मटेरियल पर कर अपवंचन को लेकर टीम द्वारा दुकान और गोदाम में कार्यवाही शुरू की गई थी.

बुधवार की दोपहर सतना एवं



रीवा की संयुक्त टीम द्वारा कार्यवाही सहायक आयुक्त अभिनव त्रिपाठी एवं राजीव गोयल के नेतृत्व में तीन दिन तक कार्यवाही की. गुरुवार की रात कार्यवाही पूरी नहीं हुई, जिसके बाद प्रतिष्ठान को सीज किया गया था और तीसरे दिन शुक्रवार को पुनः कार्यवाही की गई.

व्यापारी ने 40 लाख सरेंडर किये : उमेश

जीएसटी एंटी इवेजन के डिप्टी कमिश्नर उमेश त्रिपाठी ने बताया कि तीन दिन तक चली कार्यवाही पूरी हो चुकी है. फर्म संचालक द्वारा 40 लाख सरेंडर किये गये है. क्रय-विक्रय से जुड़े दस्तावेज जप्त किये गये है जिनका मिलान किया जायेगा और उसके बाद यह तय होगा कि फिना कर अपवंचन निकलता है. फिलहाल कार्यवाही बंद कर दी गई है.



सिंगरौली में आचार संहिता की खुलेआम धज्जियां

भाजपा मंत्री और नेताओं पर कांग्रेस का गंभीर आरोप

नवभारत न्यूज
सिंगरौली 19 दिसम्बर। नगर पालिका विभाग सिंगरौली के वार्ड क्रमांक 34 में पार्षद उपचुनाव को लेकर आज नामांकन दाखिल करने का अंतिम दिन था। इसी दौरान सिंगरौली की राजनीति उस वक गरमा गई जब कांग्रेस ने भाजपा के मंत्री, नेताओं और कार्यकर्ताओं पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का गंभीर आरोप लगाया।

कांग्रेस का आरोप है कि राज्यमंत्री राधा सिंह की अगुवाई में भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट परिसर में नारेबाजी करते हुए पार्टी झंडे और बाजे के साथ प्रवेश कर गए। मंत्री राधा सिंह के साथ भाजपा की ओर से घोषित पार्षद प्रत्याशी अशोक सिंह का नामांकन दाखिल कराया गया। इस दौरान न केवल कलेक्ट्रेट परिसर बल्कि कलेक्ट्रेट कार्यालय के भीतर भी राजनीतिक नारेबाजी किए जाने का दावा किया गया है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि चुनाव आचार संहिता लागू होने के बावजूद सत्ता के नशे में चूर भाजपा नेताओं ने नियमों को ताक पर रख दिया, लेकिन प्रशासन और पुलिस मूकदर्शक बनी रही। कांग्रेस कार्यकर्ता इस पूरे मामले

को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय पहुंचे और औपचारिक शिकायत दर्ज कराई, साथ ही दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। कांग्रेस ने सवाल उठाया है कि जब आम प्रत्याशी को सीमित संख्या में समर्थकों के साथ नामांकन की अनुमति होती है, तो भाजपा मंत्री और सैकड़ों कार्यकर्ताओं को कैसे कलेक्ट्रेट परिसर में शक्ति प्रदर्शन की छूट दी गई, क्या यह प्रशासन की निष्पक्षता पर प्रश्नचिह्न नहीं है। इस पूरे प्रकरण को लेकर कांग्रेस ने सोशल मीडिया के माध्यम से भी जिला प्रशासन, पुलिस और भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। कांग्रेस नेताओं ने यह भी सवाल उठाया कि क्या ऐसे प्रयाशियों का नामांकन निस्त होना चाहिए और क्या प्रशासन निष्पक्ष कार्रवाई करेगा या सत्ता के दबाव में कठपुतली बनकर भाजपा को चुनाव जिताने में सहयोग करेगा। अब निगाहें जिला निर्वाचन अधिकारी और प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं। यह देखा अहम होगा कि आचार संहिता को बात सिर्फ कागजों तक सीमित रहती है या वास्तव में दोषियों पर कार्रवाई होती है। आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर कांग्रेस ने विरोध जताते हुये राज्य निर्वाचन आयुक्त म.प्र. राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा है।

तेज रफ्तार में बाइक पेड़ से टकराई, अधेड़ की मौत

नवभारत न्यूज
सीधी, 19 दिसम्बर. एक सड़क हादसे में 56 वर्षीय अधेड़ की आज मौत हो गई। यह दुर्घटना सीधी शहर के पटपरा मार्ग में रामजानकी मंदिर के पास दोपहर करीब 2 बजे हुई, जहां तेज रफ्तार बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे एक पेड़ से टकरा गई। हादसे में बाइक सवार को गंभीर चोटें आईं, जिसके बाद जिला अस्पताल



में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार बाइक अचानक अनियंत्रित हुई और सीधे सड़क किनारे लगे पेड़ से जा टकराई।

टकर इतनी तेज थी कि बाइक सवार रामदयाल विश्वकर्मा के सिर और पैर में गंभीर चोटें आईं। वह मौके पर ही गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद

पुरानी रंजिश में हमला करने वाले 3 गिरफ्तार

नवभारत न्यूज
सीधी, 19 दिसम्बर. जिले के थाना रामपुर नैकिन अंतर्गत चौकी पिपरांव पुलिस ने जमीनी विवाद को लेकर एक महिला पर जानलेवा हमला करने वाले तीन आरोपियों को वारदात के महज 72 घंटों के भीतर गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। पुलिस अधीक्षक संतोष कोरी के निर्देशन में सीधी पुलिस को अपराधियों के विरुद्ध एक और सफलता प्राप्त हुई है। पुलिस के अनुसार कुंती प्रजापति निवासी ग्राम भैसरहा ने दिनांक 16 दिसंबर 2025 को चौकी पिपरांव में रिपोर्त दर्ज कराई थी कि परिवार के ही सुखलाल प्रजापति, खिलाल प्रजापति और पुण्ड्र प्रजापति ने जमीन के पुराने



विवाद को लेकर उनके साथ गाली-गलौज की। विवाद ब?ने पर आरोपियों ने जान से मारने की धमकी देते हुए उन पर प्राणघातक हमला कर दिया, जिससे उनके सिर पर गंभीर चोट आई और अत्यधिक रक्तस्राव हुआ। परिजनों के बीच-बचाव करने पर आरोपी मौके से फरार हो गए थे। ?घटना को गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अरविंद श्रीवास्तव एवं एसडीओपी चुरहट आशुतोष द्विवेदी के मार्गदर्शन में

थाना प्रभारी रामपुर नैकिन निरीक्षक सुधांशु तिवारी के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई। ?चौकी प्रभारी पिपरांव उप निरीक्षक रोपमणि मिश्रा एवं उनकी टीम ने मुखबिर तंत्र और सतत निगरानी के जरिए फरार आरोपियों की घेराबंदी की एवं तीनों आरोपियों को अलग-अलग स्थानों से गिरफ्तार कर लिया गया। ?आरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की गंभीर धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया था।

छुरदा गांव पहुंची पूर्व विधायक व कांग्रेस जिला अध्यक्ष

नवभारत न्यूज
चितरंगी 19 दिसम्बर। जिले के चितरंगी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत धवई के छुरदा टोला में सैकड़ों आदिवासी सहित अन्य परिवारों को रोड का संकट होने का समाचार पत्र सहित इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सोशल मीडिया में प्रमुखता से खबरें प्रकाशित की गई थीं. गंभीरता से लेते हुए आज चितरंगी की पूर्व विधायक व कांग्रेस ग्रामीण अध्यक्ष मरस्वती सिंह ग्राम पंचायत धवई के छुरदा टोला पहुंचकर ग्रामीणों से मुलाकात कर ग्रामीणों के रोड का संकट को देखते हुए पूर्व विधायक व कांग्रेस ग्रामीण अध्यक्ष मरस्वती सिंह ने लोगों को भरोसा दिलाया कि आपकी आवाज को शासन प्रशासन तक पहुंचाते



हुए रोड बनवाने का पुरा प्रयास करूंगी। बड़ी बात तो यह है कि चितरंगी विधानसभा राज्यमंत्री राधा सिंह की विधानसभा है, मीडिया के द्वारा प्रमुखता से ग्रामीणों को रोड से हो रही परेशानियों के बारे में प्रमुखता से खबरें प्रकाशित किए जाने के बाद भी आज दिन तक राज्यमंत्री उमेश गांव में नहीं पहुंच पाईं, शायद उन्हें वहां जाना उचित नहीं लगा होगा, लेकिन विपक्ष के दायित्वों का

निर्वहन करते हुए मरस्वती सिंह छुरदा गांव में पहुंच कर ग्रामीणों का हाल जाना। ग्रामीणों ने बताया कि इस गांव में अगर कोई बीमार पड़ जाए या डिलीवरी हो जाए तो गांव तक एंबुलेंस तो दूर बाइक नहीं पहुंच पाती, मरीज को खाट पर रखकर करीब 2 किलोमीटर ले जाना पड़ता है, बच्चों को विद्यालय जाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

सीधी में अवैध रेत उत्खनन व भंडारण पर कठोर कार्यवाही

अवैध खनिज गतिविधियों पर कलेक्टर के निर्देश पर त्वरित कार्रवाई

नवभारत न्यूज
सीधी, 19 दिसम्बर. कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी के निर्देशन एवं जिला खनिज अधिकारी कपिलमुनि शुक्ला के कुशल नेतृत्व में खनिज, राजस्व, सोन घंटियाल अभयारण्य विभाग एवं पुलिस विभाग के संयुक्त दल द्वारा ग्राम पिपरोहर, तहसील गोपदबनास, जिला सीधी में रेत के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण की प्राप्त शिकायत पर दिनांक 18 दिसंबर 2025 की रात्रि एवं 19 दिसंबर 2025 को शिकायत में उल्लेखित स्थल का निरीक्षण किया गया।

निरीक्षण के दौरान सोन नदी क्षेत्र से रेत के अवैध उत्खनन के स्पष्ट साक्ष्य पाए

गए। उल्लेखनीय है कि पुलिस अधीक्षक सीधी एवं उपसंचालक संजय टाइनर रिजर्व के निर्देशानुसार थाना प्रभारी, थाना कोतवाली एवं परिक्षेत्र अधिकारी, सोन घंटियाल अभयारण्य द्वारा सोन नदी घाट तक पहुंच मार्ग को गड्ढा खोदकर बाधित किया गया, जिससे अवैध गतिविधियों पर तत्काल रोक लगाई जा सके। निरीक्षण के दौरान ग्राम पिपरोहर स्थित खसरा क्रमांक 189 एवं 192 में लगभग 63 घन मीटर खनिज रेत अवैध रूप से भंडारित पाई गई। इस संदर्भ में अवैध भंडारणकर्ता पुंरेश केवट, पिता प्रेमलाल केवट, निवासी ग्राम पिपरोहर के विरुद्ध मध्यप्रदेश खनिज (अवैध उत्खनन, परिवहन तथा भंडारण का निवारण) नियम, 2022 के तहत प्रकरण



दर्ज कर कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। वहीं पिपरोहर सोन नदी घाट से अवैध उत्खनन पाए जाने पर संबंधित बीट प्रभारी को उपसंचालक, संजय टाइनर रिजर्व (सोन घंटियाल अभयारण्य) द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इसी प्रकार जिला

रीवा से इंदौर के लिये नियमित विमान सेवा का 22 से

उप मुख्यमंत्री ने तैयारियों का लिया जायजा

नवभारत न्यूज
रीवा, 19 दिसम्बर, रीवा से इंदौर के लिये एटीआर 72 विमान 22 दिसंबर को उड़ान भरेगा. इंडिगो एयरलाइंस की इस नियमित सेवा में वायुयान दोपहर बाद 1.15 बजे रीवा आयेगा तदुपरांत 1.35 बजे इंदौर रवाना होगा.

उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने 22 दिसंबर को आयोजित होने वाले शुभारंभ कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया तथा सभी व्यवस्थायें दुरुस्त रखने के निर्देश संबंधितों को दिये. उन्होंने बताया कि नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय अपने 40 से अधिक सदस्यीय दल के साथ इंदौर से रीवा आयेंगे. उप



मुख्यमंत्री श्री शुक्ल स्वयं इस विमान से 70 से अधिक यात्रियों के साथ इंदौर रवाना होंगे. उप मुख्यमंत्री ने बताया कि रीवा से नई दिल्ली विमान सेवा के बेहतर परिणाम सामने आये हैं. इसको देखते हुए एलायंस एयर अब रविवार को भी नई दिल्ली से रीवा व

रीवा से नई दिल्ली के लिये विमान का संचालन करने की कार्यवाही कर रहा है. बैठक में नगर निगम अध्यक्ष व्यंकटेश पाण्डेय, विधायक प्रतिनिधि विवेक दुबे सहित इंडिगो के अधिकारी, रीवा एयरपोर्ट के अधिकारी शुभम शर्मा उपस्थित रहे.

रोगी कल्याण समिति की बैठक 22 को

सतना 19 दिसम्बर. नगरीय विकास एवं आवास संसदीय कार्य मंत्री और सतना जिले के प्रभारी मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय की अध्यक्षता में सरदार वल्लभ भाई पटेल जिला चिकित्सालय की रोगी कल्याण समिति की साधारण सभा की बैठक 22 दिसम्बर को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक के उपरांत आयोजित की गई है।

खाद्य सुरक्षा अमला बेनकाब, सुरक्षा के नाम पर दिखावा

रीवा, शहडोल उड़नदस्ते ने खोली पोल

नवभारत न्यूज
सिंगरौली 19 दिसम्बर। जिस जिले में खाद्य सुरक्षा अमला यह दावा करता नहीं थकता कि कहीं भी दूषित खाद्य पदार्थ की बिक्री नहीं हो रही, उसी सिंगरौली में रीवा और शहडोल संभाग की संयुक्त खाद्य सुरक्षा उड़नदस्ता टीम ने ऐसा सच उजागर किया है, जिसने पूरे शहर में सनसनी फैला दी है।

संभागीय उड़नदस्ते द्वारा की गई अचानक कार्रवाई में राजस्थान स्वीट्स समेत कई नामचीन होटल, रेस्टोरेंट और मिठाई दुकानों में केमिकल युक्त मिठाइयां, सड़ें-गली सामग्री और स्वास्थ्य के लिए बड़े खतरनाक खाद्य पदार्थ पाए गए। छापे के दौरान जो नजारा सामने आया, उसने यह सवाल खड़ा कर दिया कि आखिर सिंगरौली का खाद्य सुरक्षा अमला अब तक क्या कर रहा था। सबसे बड़ा और गंभीर आरोप यह है कि सिंगरौली के खाद्य सुरक्षा अधिकारी की जानकारी और कथित गांठ-जोड़ से ही दूषित खाद्य सामग्री को खुलेआम बिक्री हो रही थी। अगर ऐसा नहीं था तो फिर संभागीय टीम को इतनी भारी मात्रा में केमिकल युक्त मिठाइयां और अमानक खाद्य सामग्री आखिर कैसे मिल गई। रीवा-शहडोल संभाग की उड़नदस्ता टीम ने छापेमारी कर सिंगरौली के खाद्य सुरक्षा अधिकारी के दावों की हवा



निकाल दी।

जिन दुकानों और होटलों को स्थानीय स्तर पर क्लीन चिट मिली हुई थी, वहाँ गंभीर खामियां और जानलेवा सामग्री मिली। इससे यह साफ हो गया कि स्थानीय खाद्य सुरक्षा अमला या तो आंख मूंदे बैठ था या फिर सब कुछ जानते-समझते हुए अनदेखी कर रहा था। सबसे चौंकारने वाली बात यह है कि जिले के कलेक्टर द्वारा समय-समय पर दिए गए सख्त निर्देश भी खाद्य सुरक्षा अधिकारी पर कमजोर पड़ते नजर आ

रहे हैं। सवाल यह है कि क्या कलेक्टर के आदेश सिर्फ कागजों तक सीमित रह गए हैं या फिर खाद्य सुरक्षा अधिकारी खुद को आदेशों से ऊपर समझने लगे हैं। अब सिंगरौली की प्रबुद्ध जनता सामाजिक संगठन और जागरूक नागरिक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के क्रियाकलापों की निष्पक्ष जांच की मांग तेजी से उठा रहे हैं। लोगों का कहना है कि अगर संभागीय टीम छप्पा नहीं मारती, तो यह जहर लोगों की थाली में यूँ ही परोसा जाता रहता।

इस पूरे खेल में किसकी भूमिका

रीवा-शहडोल संभाग की टीम की कार्रवाई ने यह साफ़कर दिया है कि सिंगरौली में सब सुरक्षित है का दावा एक बड़ा झूठ था। अब सवाल यह नहीं है कि दुकानों में क्या मिला, सवाल यह है कि अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई और इससे भी बड़ा सवाल इस पूरे खेल में किस-किस की भूमिका है। अगर समय रहते सख्त कार्रवाई और जवाबदेही तय नहीं हुई, तो यह मामला सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही नहीं, बल्कि जनस्वास्थ्य के साथ खुला खिलवाड़ बन जाएगा। अब निगाहें प्रशासन पर हैं, क्या दोषियों पर गिरेगी गाज या फिर यह मामला भी फाड़ली में दफन कर दिया जाएगा।

अभियुक्त व्यक्ति की हाजिरी की अपेक्षा करने वाली उद्घोषणा

धारा 82 सीआरपीसी / 84 भारतीय नागरिक

सुरक्षा सहिता देखिए

मेरे समक्ष परिववाद किया गया है कि अभियुक्त दिवारकर हलवर, पुत्र नारायण हलवर निवासी ग्राम व पोस्ट उसरार, नागोले, सिंहपुर, सतना, म.प्र. ने प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 20/2023 भा.द.सं. की धारा 188 के तहत, थाना बवरपुर, दिल्ली के अधीन दण्डनीय अपराध किया है (या संदेह है कि उसने किया है) और उस पर जारी किये गये गिरफ्तारी के वारंट को यह लिखकर रीटा दिया है कि उक्त अभियुक्त दिवारकर हलवर मिल नहीं रहा है और समाधानप्रद रूप से दर्शित कर दिया है कि उक्त अभियुक्त दिवारकर हलवर फरार हो गया है (या उक्त वारंट की तामील से बचने के लिए अपने आप को छिपा रहा है)।

इसलिए इसके द्वारा उद्घोषणा की जाये कि प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 20/2023 भा.द.सं. की धारा 188 के तहत, थाना बवरपुर, दिल्ली के उक्त अभियुक्त दिवारकर हलवर से अपेक्षा की जाती है कि वह इस न्यायालय के समक्ष (या मेरे समक्ष) उक्त परिववाद का उत्तर देने के लिए 24.01.2026 को या उससे पूर्व हाजिर हो।

आदेशानुसार

श्री विनोद जोशी

एलडी. अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी, दक्षिण-पूर्वी जिला कोर्ट नं.515, दक्षिण पूर्वी, सार्वकत कोर्ट, नई दिल्ली DP/17016/SE/2025